न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 181/2017 (उदयपुर डिक्री)

किशनसिंह पिता पहाड़सिंह जी चौहान, निवासी पालडी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, फास्टट्रेक गिर्वा
दिनांक 10.07.2017, प्र.सं. 5/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक UIT
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 31–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालडी में आराजी नंबर 911 रकबा 0.2400 हैक्टर एवं आराजी नंबर 915/2067 रकबा 0.3350 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा पत्थर की कोट बना रखी है, किन्तु प्रतिवादीगण उसे मौके से बेदखल करना चाहते हैं। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन देरी के कारणों को उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया एवं ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत में करीब 50 दिन का विलम्ब हुआ है, तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। फिर भी अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गयी है, जो माननीन राजस्व मण्डल की वृहत पीठ आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 70 अनुसार देय नहीं है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

किशनसिंह पिता पहाड़सिंह चौहान, निवासी पालड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**181/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**फास्ट ट्रेक गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**....माह.....**12**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अजयसिंह हाडा**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**12**.....**2019** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:46:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: